



**शहर में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रेयता) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाली शुद्धि-पत्र**

क्र. सं.	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अम्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला अधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है वि. वि. विनियम, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा खीरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को बुद्धि की गई ?	अम्युक्ति
1	1647 (11) 2647 012 012	1143	90 216410	2917 - 1143 202 - 1143 302 - 1143 202 - 1143	216410 216410	9/11/62 4569 - 216410 1143	1 1143 - 216410 216410 - 216410 216410 - 216410 216410 - 216410 216410 - 216410		10

जिला अनुमण्डल अनुमण्डल सर्किल/अंचल सर्किल/अंचल हल्का II इस्टेट का नाम

ज्ञापक संख्या 0..... ता. 200..... 200

सर्किल पदाधिकारी / अंचलाधिकारी

सर्किल / अंचल

को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अवलोकन  
अवलोकन  
अवलोकन  
अवलोकन  
अवलोकन

अवलोकन  
अवलोकन  
अवलोकन

अवलोकन  
अवलोकन  
अवलोकन





# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या..... ( ५ ) / 2016-17

आवेदन की तिथि 17/2/17

अधिसूचना की तिथि 18/2/17

निर्गत तिथि 20/2/17

## (II) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
--------	---------------------------------	-----------

23/01/17  
 आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती प्रदीप कुमार चटर्जी पिता/पति स्व०  
 साकिम धाना धनबाद  
 जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार  
 आवेदक/आवेदिका ने मौजा धरौडा मौजा नं० 06 खाता  
 नं० 92 प्लॉट नं० 202 रकबा  
 3.29 दलाल सं० 6954 दिनांक 29/12/16 के  
 द्वारा श्री/श्रीमती अनिता देवी से प्राप्त किया है।  
 मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें।  
 अभिलेख दिनांक 6/2/17 को उपस्थापित करें।

*[Signature]*  
 अंचल अधिकारी  
 धनबाद।

जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।

6/2/17  
 अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -

- भूमि रयती खात की है।
- जमाबंदी सं० 5739 में विक्रेता के/विक्रेता के स्वयं के नाम लगान से रसीद कट रहा है।
- आवेदक निबंधित दलाल द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल करवा में है।
- निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तब-अन्तर-मुद्रांक-की-सारी-को-कोषागार-में-जमा-कर-दलील-को-बैध-कर-लिया-गया-है।
- प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुसंधान के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा। लेखापित एवं संशोधित

*[Signature]*  
 06/02/17  
 अंचल अधिकारी  
 धनबाद।

*[Signature]*  
 06/02/17  
 अंचल अधिकारी  
 धनबाद।

*[Handwritten notes]*  
 निर्यात हेतु  
 20/2/17

शुद्धि पत्र प्राप्त किया

मैंने द्वारा फोटो कोपी  
 किया गया  
 26/2/17  
 प्रतिलिपिक/टंकक

मैंने मिलान किया  
 26/2/17  
 सहायक

प्रमाणित सचवी प्रतिलिपि  
 26/2/17  
 प्रधान सहायक  
 अंचल कार्यालय  
 धनबाद